भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 418
दिनांक 04 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

418. श्री सनातन पांडेयः
श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने गैर-गोजातीय दूध के उत्पादन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए इस प्रकार (भेड़, बकरी, ऊंट, गधा) के दूध के लिए कोई मानक निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पशुपालन और डेयरी विभाग और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत भेड़, बकरी, ऊंट और गधे के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत किसानों, एफपीओ, एफसीओ, एसएचजी, जेएलजी और अन्य हितधारकों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई है और इस संबंध में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिलेवार ब्यौरे सहित यह योजना पशुधन और पशुधन उत्पादों के विकास में किस प्रकार सहायक है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) जी हां, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.1.2 में गैर-बोवाइन दूध (बकरी, ऊंट और भेड़ का दूध) के लिए मानक विनिर्दिष्ट किए हैं। (https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/2_%20Chapter%202_1%20(Dairy%20products%20and%20analogues).pdf)

(ख) भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग वर्ष 2021 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। एनएलएम-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) योजना के उद्यमिता घटक के अंतर्गत मुर्गी, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, ऊंट और गधा प्रजनन फार्मों के साथ-साथ चारा और भोजन इकाइयों की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी, 50 लाख रुपये तक प्रदान की जाती है। पात्र संस्थाओं में व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), किसान सहकारी संगठन (एफसीओ) और धारा 8 कंपनियां शामिल हैं। एनएलएम उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) के तहत पात्र इकाई आकार का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश में तथा हरियाणा के सोनीपत जिले में इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों, एफपीओ, एफसीओ, एसएचजी, जेएलजी तथा अन्य हितधारकों को प्रदान की गई सब्सिडी राशि का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में 145 एनएलएम-ईडीपी परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं, जिनमें कुल स्वीकृत सब्सिडी 32.91 करोड़ रुपए है। इस पहल से 846 व्यक्तियों को रोजगार मिला है और 5,978 किसानों को लाभ हुआ है। इससे वार्षिक चारा उत्पादन क्षमता में 28,000 मीट्रिक टन का योगदान मिलने की भी उम्मीद है, जिससे 30,371 पशुधन और 2,200 पोल्ट्री पक्षियों को इस प्रणाली में शामिल करने में सहायता मिलेगी। विस्तृत जानकारी अनुबंध-III में दी गई है।

हरियाणा में इस योजना के तहत 13 एनएलएम-ईडीपी परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं, जिनमें कुल स्वीकृत सब्सिडी 4.06 करोड़ रुपए है। इस पहल से 62 व्यक्तियों को रोजगार मिला है और इसने 144 किसानों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत परियोजनाएं वार्षिक चारा उत्पादन क्षमता में 2,400 मीट्रिक टन का योगदान देंगी और 3,940 पशुधन और पोल्ट्री पक्षियों को इस प्रणाली में शामिल करने में सहायता करेंगी। आगे की जानकारी अनुबंध-IV में दी गई है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना का उद्देश्य प्रति पशु उत्पादकता, आनुवंशिक सुधार और गुणवत्तापूर्ण आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाना है। इसके अलावा, एनएलएम-ईडीपी कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित नस्ल वृद्धि फार्म किसानों को बेहतर जर्मप्लाज्म प्रदान करेंगे जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। उद्यमियों द्वारा स्थापित साइलेज प्लांट छोटे जोत वाले पशुपालकों को किफायती चारा प्राप्त करने में मदद करेंगे और स्थानीय किसानों को चारे की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार, दीर्घावधि में, एनएलएम-ईडीपी कार्यक्रम के तहत अर्जित लाभ पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा प्रश्न संख्या 418
संसद सदस्य का नाम: श्री सनातन पांडेय
श्री सतपाल ब्रह्मचारी
उत्तर देने की तिथि: 04.02.2025

एनएलएम उद्यमिता योजना के तहत विभिन्न इकाई आकार के निम्नलिखित कार्यकलाप पात्र हैं:

i. हैचिंग अंडे और चूजों के उत्पादन के लिए न्यूनतम 1000 पैरेंट लेयर्स के साथ ग्रामीण पोल्ट्री पक्षियों के पैरेंट फार्म, हैचरी, ब्रूडर सह मदर यूनिट की स्थापना।

पोल्ट्री इकाई का आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
1000 + 100	25 लाख रुपए

ii. न्यूनतम 100 मादा एवं 05 नर तथा इसके गुणक में भेड़ एवं बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना निम्नानुसार है।

बकरी/ भेड़ इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
100 + 5	10 लाख रुपए
200 + 10	20 लाख रुपए
300+ 15	30 लाख रुपए
400+ 20	40 लाख रुपए
500+ 25	50 लाख रुपए

iii. न्यूनतम 50 मादा और 05 नर सूअर तथा अधिकतम 100 मादा और 10 नर सूअरों के साथ सूअर प्रजनन फार्म की स्थापना। विभिन्न घटकों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा 15.00 लाख रुपये से 30.00 लाख रुपये तक भिन्न-भिन्न है।

सूअर इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
50 मादा सूअर + 5 नर सूअर	15 लाख रुपए
100 मादा सूअर +10 नर सूअर	30 लाख रुपए

iv. चारा मूल्य संवर्धन इकाइयों की स्थापना जैसे घास (हे)/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक तैयार करना और चारे का भंडारण। अधिकतम सब्सिडी सीमा 50.00 लाख रुपये है।

v. ऊँट, घोड़ा और गधा प्रजनन फार्म की स्थापना

ऊंट इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
10 घोड़ी/ प्रजनन के लिए प्रयुक्त होने वाली घोड़ी + 2 घोड़े	50 लाख रुपए

गधा इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
50 मादा+ 5 नर	50 लाख रुपए

ऊँट इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
10 मादा + 1 नर (चरवाहों के लिए)	3 लाख रुपए
10 मादा + 1 नर	5 लाख रुपए
50 मादा + 5 नर	25 लाख रुपए
100 मादा + 10 नर	50 लाख रुपए

अनुबंध-II

लोक सभा प्रश्न संख्या 418
संसद सदस्य का नाम: श्री सनातन पांडेय
श्री सतपाल ब्रह्मचारी
उत्तर देने की तिथि: 04.02.2025

उत्तर प्रदेश और शेष भारत में किसानों, एफपीओ, एफसीओ, एसएचजी, जेएलजी को एनएलएम-ईडीपी के तहत अनुमोदित सब्सिडी का विवरण :

राज्य	**व्यक्ति**	**सहकारी समितियां**	**एफपीओ**	**एफसीओ**	**स्वयं सहायता समूह**	**धारा 8**	**जेएलजी**	**कुल अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)**
उत्तर प्रदेश	143	0	1	0	0	1	0	32.90
शेष भारत	3129	4	6	0	1	6	4	1065.72
कुल योग	3272	4	7	0	1	7	4	1098.62

हरियाणा के सोनीपत जिले के लिए एनएलएम-ईडीपी पोर्टल में प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति

जिला सोनीपत, हरियाणा में एनएलएम ईडीपी परियोजना की स्थिति			
वर्तमान स्थिति	**पोर्टल पर प्राप्त कुल आवेदन**	**कुल परियोजना लागत (लाख रुपए में)**	**कुल सब्सिडी राशि (लाख रुपये में)**
हरियाणा के सोनीपत जिले से प्राप्त कुल आवेदन	4	328.4029	154.5
राज्य सरकार द्वारा पात्रता	1	25.3529	10
राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत	1	73.91	30
राज्य सरकार द्वारा आवेदक को लौटा दिए गए	2	229.14	114.5

अनुबंध- III

लोक सभा प्रश्न संख्या 418
संसद सदस्य का नाम: श्री सनातन पांडेय
श्री सतपाल ब्रह्मचारी
उत्तर देने की तिथि: 04.02.2025

उत्तर प्रदेश में जिलावार अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	जिला	विभाग द्वारा आज तक अनुमोदित परियोजनाएं						
		आहार और चारा	बकरी	सूअर पालन	पोल्ट्री	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	कुल अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
1.	आगरा	0	2			3	2.56	1.15
2.	अलीगढ़	0	2			2	2.00	0.93
3.	अंबेडकर नगर	1	1			2	2.06	0.70
4.	अमेठी	0	1			1	1.00	0.34
5.	अमरोहा	0	2			2	0.40	0.15
6.	औरय्या	0	1			1	1.00	0.50
7.	अयोध्या	0	2			2	1.56	0.69
8.	आजमगढ़	0	3			3	2.20	0.86
9.	बागपत	0	1	1		2	0.80	0.34
10.	बाँदा	1	1	1		3	1.60	0.74
11.	बाराबांकी	0	2			2	1.60	0.80
12.	बरेली	0	3	2		5	3.28	1.32
13.	भदोही	0	1			1	1.15	0.50
14.	बदायूं	1	2			3	1.86	0.68
15.	बुलंदशहर	0	2	1	2	5	3.87	1.74
16.	देवरिया	0	7			7	1.58	0.57
17.	एटा	0	0	1		1	0.28	0.14
18.	इटावा	0	4			4	1.35	0.55
19.	फतेहपुर	0	4			4	1.60	0.71
20.	फिरोजाबाद	0	1			1	1.30	0.41
21.	गौतम बुद्ध नगर	0	0	1		1	0.76	0.30

क्रम सं.	जिला	विभाग द्वारा आज तक अनुमोदित परियोजनाएं						
		आहार और चारा	बकरी	सूअर पालन	पोल्ट्री	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	कुल अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
22.	गाजियाबाद	0	2	1		3	2.10	0.95
23.	गाजीपुर	0	6			6	2.20	1.03
24.	गोरखपुर	0	10			10	5.39	2.25
25.	हमीरपुर	0	3			3	1.81	0.90
26.	हरदोई	1	1			2	3.00	0.64
27.	जालौन	0	1			1	0.20	0.10
28.	झांसी	1	0			1	0.50	0.25
29.	कानपुर देहात	0	5	1		6	2.16	0.85
30.	कानपुर नगर	0	1			1	0.25	0.10
31.	कौशाम्बी	0	4	3		7	2.33	1.05
32.	खीरी	0	1			1	1.00	0.49
33.	कुशीनगर	0	9			9	3.01	1.25
34.	लखनऊ	0	3	1		4	2.02	0.92
35.	महोबा	0	1			1	0.45	0.14
36.	महराजगंज	0	1			1	1.00	0.50
37.	मैनपुरी	0	1			1	0.21	0.09
38.	मथुरा	0	0	1		1	0.79	0.30
39.	मऊ	0	1			1	0.23	0.07
40.	मेरठ	0	0	2		2	1.20	0.42
41.	मिर्जापुर	0	1			1	0.22	0.10
42.	मुजफ्फरनगर	0	1	2		3	2.35	1.05
43.	पीलीभीत	0	1			1	0.21	0.10
44.	प्रयागराज	1	1			1	1.12	0.50
45.	रायबरेली	0	1			1	0.20	0.10
46.	सहारनपुर	0	0	1		1	0.30	0.14
47.	शाहजहांपुर	0	1			1	0.71	0.30

क्रम सं.	जिला	विभाग द्वारा आज तक अनुमोदित परियोजनाएं						
		आहार और चारा	बकरी	सूअर पालन	पोल्ट्री	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	कुल अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
48.	श्रावस्ती	0	1			1	0.40	0.16
49.	सिद्धार्थनगर	0	2			2	0.50	0.20
50.	सोनभद्र	0	2			2	0.63	0.30
51.	सुल्तानपुर	0	4	1		5	2.50	1.16
52.	उन्नाव	0	5			5	3.00	1.34
53.	वाराणसी	1	4			5	2.58	1.07
	कुल योग	**7**	**116**	**20**	**2**	**145**	**78.36**	**32.91**

अनुबंध- IV

लोक सभा प्रश्न संख्या 418
सांसद का नाम: श्री सनातन पांडेय
श्री सतपाल ब्रह्मचारी
उत्तर देने की तिथि: 04.02.2025

हरियाणा में जिलावार अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	जिला	विभाग द्वारा आज तक अनुमोदित परियोजनाएं					
		बकरी और भेड़	**सुअर**	**आहार और चारा**	**अनुमोदित आवेदनों की संख्या**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)**	**कुल अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)**
1.	भिवानी	2			2	1.99	0.90
2.	चरखी दादरी	2	1		3	1.50	0.75
3.	कुरुक्षेत्र			1	1	1.13	0.50
4.	महेंद्रगढ़	1			1	1.10	0.50
5.	सिरसा	6			6	3.66	1.41
	कुल योग	**11**	**1**	**1**	**13**	**9.38**	**4.06**